तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर ज ता
23/12/22	पत्रावली प्रार्थी/वादी ओमप्रकाश की और से प्रार्थना पत्र 152 सी.पीसी पेश होने पर तलब होकर पेश हुई। प्रार्थी/वादी को सुना गया। प्रार्थी के अनुरोध किया कि माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में 04.10.2022 को निर्णय पारित किया जाकर डिक्री किया गया था किन्तु निर्णय की पालना में डिक्री तैयार करते समय सहवन से वादी संख्या 1/3 प्रत्येक का 1/18 हिस्सा, वादी सं. 4 ता 8 प्रत्येक का 1/90 हिस्सा तथा वादी सं. 1 ता 9 के स्थान पर प्रतिवादी सं. 1 ता 9 दर्ज होने से रह गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें एवं निर्णय अनुसार संशोधित डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जावें। प्रार्थी/वादी को सुनने व पत्रावली एवं पारित निर्णय तथा डिक्री का अवलोकन करने पर पाया गया कि पारित निर्णय दिनांक 04.10.2022 अनुसार डिक्री तैयार करते समय सहवन से निर्णय अनुसार डिक्री तैयार नही हुई है। दुरूस्ती किया जाना न्यायाहीत में उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/वादी को प्रार्थना पत्र 152 सी.पीसी स्वीकार किया जाता है तथा निर्णय दिनांक 04.10.2022 अनुसार संशोधित डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय अनुसार संशोधित डिक्री जारी होकर पालना हेतु तहसीलदार नीमकाथाना को तहरीर जारी हो। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	